



श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल

E-Mail-registrarsdsu2018@gmail.com

पत्रांक :- 6704/R.O./SDSUV/V.T./2025-26

दिनांक:- २० मार्च, 2026

विज्ञापित (ई-निविदा)

एतद्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2025 के अन्तर्गत निविदा कार्य (वाहनों की आपूर्ति) हेतु इच्छुक प्रतिष्ठित, ख्यातीप्राप्त, अनुभवी एवं पंजीकृत फर्मों से परीक्षा सम्बन्धी कार्य हेतु व्यावसायिक वाहनों की आपूर्ति हेतु द्वि-निविदा प्रणाली के अन्तर्गत (तकनीकी एवं वित्तीय) उत्तराखण्ड ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल <https://uktenders.gov.in> के माध्यम से दिनांक 08 अप्रैल, 2026 को सांय 05:00 बजे तक निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं। विस्तृत जानकारी उत्तराखण्ड ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल <https://uktenders.gov.in> एवं विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट <https://sdsuv.ac.in> पर देखी जा सकती है।

(दिनेश चन्द्रा)
कुलसचिव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव कुलपति जी को, माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. समाचार सम्पादक, हिन्दुस्तान को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञापित का साईज 6x4 से0मी0 में दिनांक 21.03.2026 के उत्तराखण्ड गढ़वाल संस्करण में (10 प्रतिशत छूट के साथ) प्रकाशित कर बिल दो प्रतियों में भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. मुख्य वित्त अधिकारी।
4. विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5. कार्यालय प्रति।

(दिनेश चन्द्रा)
कुलसचिव।



श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल

E-Mail-registrarsdsu2018@gmail.com

पत्रांक :- 670 / R.O./SDSUV / V.T. / 2025-26

दिनांक:- 20 मार्च 2026

ई-निविदा सूचना

एतद्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2025 के अन्तर्गत निम्नलिखित निविदा कार्य हेतु इच्छुक प्रतिष्ठित, छायातीप्राप्त, अनुभवी एवं पंजीकृत फर्मों से परीक्षा सम्बन्धी कार्यों हेतु व्यावसायिक वाहनों की आपूर्ति हेतु द्वि-निविदा प्रणाली के अन्तर्गत (तकनीकी एवं वित्तीय) उत्तराखण्ड ई-प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल <https://uktenders.gov.in> के माध्यम से दिनांक 08.04.2026 को सायं 05:00 बजे तक निविदाये आमन्त्रित की जाती हैं, जिसमें सम्बन्धित विस्तृत विवरण निम्नानुसार है-

1	निविदा कार्य	श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय में परीक्षाओं एवं अन्य विभागीय कार्यों हेतु वाहन सेवा की वार्षिक अनुबन्ध आधार पर अधिप्राप्ति हेतु।
2	निविदा आमन्त्रित कर्ता अधिकारी	कुलसचिव, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।
3	ई निविदा शुल्क	₹0 1000.00 (₹0 एक हजार मात्र) जी0एस0टी0 सहित का बैंक ड्राफ्ट (वित्त अधिकारी श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल के नाम देय। जिसकी वैधता 45 दिवसों से कम ना हो।
4	कार्य की अनुमानित लागत	30 लाख प्रति वर्ष
5	निविदा प्रतिभूति	₹0 1.35 लाख (₹0 एक लाख पैंतीस हजार मात्र) एफ0डी0आर0/बैंक गारन्टी के रूप में (वित्त अधिकारी, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल) के नाम देय। जिसकी वैधता निविदा समाप्ति की तिथि से (90+45) 135 दिवसों की होगी।
6	कार्यपूर्ति प्रतिभूति (Performance Security)	निविदा मूल्य का 05 प्रतिशत का एफ0डी0आर0/बैंक गारन्टी के रूप में (वित्त अधिकारी, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल) के नाम देय। जिसकी वैधता अनुबन्ध की समाप्ति की तिथि से 60 दिन बाद तक होगी।
7	वार्षिक टर्न ओवर	किंगत तीन वित्तीय वर्षों 2022-23, 2023-24 2024-25 का टर्नओवर औसतन 40,00,000 (रुपये चालीस लाख) प्रतिवर्ष होना आवश्यक है जिसका प्रमाण पत्र सी0ए0 द्वारा जारी होना चाहिये। नेट वर्थ पिछले 03 वर्ष की किसी भी दशा में नकारात्मक न हो।
8	ई-निविदा प्रपत्र वेबसाइट पर उपलब्ध होने की तिथि	दिनांक 20.03.2026 सायं 15:00 बजे
8	निविदा पृच्छा समाप्ति की अन्तिम तिथि	दिनांक 25.03.2026 सायं 05:00 बजे
9	बी बिड मीटिंग का दिनांक, समय एवं स्थान	दिनांक 26.03.2026 पूर्वाह्न 11:00 बजे, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल
10	निविदा अपलोड करने की प्रारम्भिक तिथि	दिनांक 26.03.2026 अपराह्न 16:00 बजे
11	निविदा फीस, ई0एम0डी0 को मौखिक रूप से जमा करने की अन्तिम तिथि/समय एवं स्थान	दिनांक 08.04.2026 अपराह्न 17:00 बजे तक श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल
12	ई-निविदा तकनीकी/वित्तीय बिड अपलोड करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 08.04.2026 अपराह्न 17:00 बजे
13	तकनीकी ई-निविदा खोलने की तिथि/समय/स्थान	दिनांक 09.04.2026 पूर्वाह्न 11:30 बजे श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल
14	वित्तीय ई-निविदा खोलने की तिथि/समय/स्थान	दिनांक 09.04.2026 पूर्वाह्न 15:00 बजे श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल

0

निविदा सूचना

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल में परीक्षाओं एवं अन्य विभागीय कार्यों हेतु वाहन सेवा की वार्षिक अनुबन्ध आधार विभिन्न प्रकार के डीजल चलित वाहनों को आवश्यकता के दृष्टिगत अनुभवी सेवाप्रदाता एवं पंजीकृत ट्रेवल एजेंसियों/ट्रांसपोर्टर्स से ई-प्रोक्वोरमेंट पोर्टल <https://uktenders.gov.in> के माध्यम से न्यूनतम दरों की निविदा आमन्त्रित की जाती है।

परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या-2744(1) दिनांक 15 जुलाई, 2022 द्वारा शासकीय कार्यों हेतु दरें निम्नानुसार निर्धारित की गयी हैं। प्रति किमी० दरों को शासनादेश में निर्धारित दरों के आधार पर ही रखा गया है, फर्मों द्वारा केवल प्रतिदिन न्यूनतम कि०मी० के रूप में दरें अंकित की जानी होंगी, जिस फर्म की दरें सबसे कम होंगी, को L1 माना जायेगा।

क्रम सं०	वाहन का मेक (समस्त यात्री वाहन वातानुकूलित होना आवश्यक है)	दर प्रति किमी०		प्रति-दिन न्यूनतम दूरी (किमी० में) परन्तु अधिकतम 260 किमी० से अधिक न हो
		मैदानी क्षेत्रों के लिये	पर्वतीय क्षेत्रों के लिये	
01	02	03	04	05
01	इनोवा अथवा समकक्ष वाहन (तेल एवं चालक के साथ)	25.00	27.00	
02	बोलेरो, स्कॉरपियो अथवा समकक्ष वाहन (तेल एवं चालक के साथ)	22.00	25.00	
03	आल्टो डिजायर तथा समकक्ष वाहन (तेल एवं चालक के साथ)	18.00	20.00	
04	बोलेरा पिकअप, महिन्द्रा पिकअप अथवा समकक्ष वाहन (तेल एवं चालक के साथ)	18.00	20.00	
05	ठेका बस (21 से 30 सीट) वातानुकूलित (तेल एवं चालक के साथ)	80.00	85.00	

प्रतिदिन न्यूनतम दूरी का तात्पर्य सेवा प्रदाता द्वारा एक दिन में कम से कम प्रभावित दूरी से है। न्यूनतम दूरी से अधिक चलने पर वास्तविक दूरी का भुगतान उपरोक्तानुसार प्रति किमी की दर से किया जायेगा। प्रतिदिन न्यूनतम दूरी उक्त वर्णित प्रत्येक प्रकार के वाहन के लिये वाहन प्रदाता फर्म अलग-अलग प्रस्तुत करेंगे, परन्तु किसी भी दशा में 260 किमी से अधिक न हो।

उदाहरण- माना क्रम सं०-01 में इनोवा अथवा समकक्ष वाहन के लिये राज्य सरकार द्वारा मैदानी क्षेत्रों के लिये दर रू० 25 प्रति किमी नियत है। तो उसके समकक्ष स्तम्भ 05 में निविदादाता द्वारा एक दिन में न्यूनतम प्रभावित दूरी दर्ज करनी होगी। माना किसी निविदादाता द्वारा एक दिन में न्यूनतम दूरी 100 किमी दर्ज की जाती है। तो यदि किसी दिन वाहन 80 किमी चलता है तो भुगतान न्यूनतम 100 किमी के लिये (100*25=2500) किया जायेगा। यदि किसी दिन वाहन 100 किमी से अधिक चलता है तो भुगतान किमी गुणा प्रति किमी दर से किया जायेगा।



कुलसचिव।

कार्य की मांग एवं आपूर्ति-

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल को परीक्षा कार्यों एवं अन्य विभागीय कार्यों के दृष्टिगत वाहनों की आवश्यकता हो सकती है। विश्वविद्यालयी परीक्षा कार्यों के दृष्टिगत वाहनों का प्रयोग विश्वविद्यालय मुख्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल एवं विश्वविद्यालय शिविर कार्यालय, ऋषिकेश से परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार गोपनीय एवं अन्य सामग्रियों को गढ़वाल मण्डल से सम्बद्ध परीक्षा केन्द्रों तक लाये एवं ले जाने हेतु किया जायेगा।

(क) तकनीकी निविदा की शर्तें-

1. फर्म को ई-टेंडर अपनाते हुए तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव <https://uktenders.gov.in> पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत करने होंगे।
2. आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा करार के दौरान कोई भी वाहन 05 वर्ष से अधिक पुराने वाहन की आपूर्ति नहीं की जायेगी।
3. फर्म/ट्रेवल ऐजेन्सी श्रम विभाग, उत्तराखण्ड तथा जी0एस0टी0 वैध होना आवश्यक है जिसकी पुष्टि हेतु प्रमाण-पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. फर्म की विगत वित्तीय तीन वर्षों (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) की आयकर रिटर्न एवं पैन कार्ड नं0 की छाया प्रति संलग्न की जानी आवश्यक है।
5. फर्म का टर्न ओवर विगत तीन वित्तीय वर्षों 2022-23, 2023-24, 2024-25 में टैक्सी सेवाओं के कार्य के लिये औसतन टर्न ओवर रूपये चालीस लाख प्रति वर्ष (टर्न ओवर टैक्सी सेवाओं से सम्बन्धित कार्य के लिये होना चाहिए) होना आवश्यक है जिसका प्रमाण पत्र सी०ए० द्वारा जारी होना चाहिये। नेट वर्थ पिछले 03 वर्ष की किसी भी दशा में नकारात्मक न हो प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।
6. जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र की छाया प्रति जो वर्ष 2025-26 अथवा आजीवन के लिए मान्य हो।
7. निविदादाता के पास 05 स्वयं के वाहन होना अनिवार्य है तथा निविदादाता के पास एक बार में कम से कम 10 यात्री वाहन अथवा 15 पिकअप वाहन किराये पर उपलब्ध कराये जाने की क्षमता होना आवश्यक है।
8. निविदादाता फर्म को 100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर ब्लैक लिस्टेड न होने के सम्बन्ध में नोटरी कर शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. अग्रिम धरोहर राशि (EMD) एवं वांछित अभिलेखों के सापेक्ष वांछित सूचना के अनुपयुक्त पाये जाने पर निविदादाता की निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
11. जिन वाहनों की दरें प्रस्तुत की जायेंगी वो वाहन 05 वर्ष से पूर्व पंजीकृत न हों।
12. वाहन नियमानुसार संभागीय / उपसभागीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए तथा करार की अवधि में वाहन के समस्त प्रपत्र यथा पंजीयन परमिट फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि वैध होने चाहिए। पंजीयन शुल्क, परमिट शुल्क, फिटनेस शुल्क मोटर वाहन कर, बीमा शुल्क, चालक का लाईसेन्स आदि पर सभी प्रकार से सम्बन्धित व्यय वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किए जायेंगे।
13. आपूर्ति किए जाने वाले वाहन का पंजीकरण टैक्सी/व्यावसायिक श्रेणी का होना चाहिए।

14. आपूर्तित वाहनों की भौतिक स्थिति पूर्णरूपेण परिवहन विभाग के नियमों के अनुरूप होना आवश्यक है। वाहन के प्रपत्रों में किसी भी प्रकार की कमी होने पर अथवा विधिक विवाद/चालान होने की दशा में वाहन स्वामी स्वयं उत्तरदायी होगा। विश्वविद्यालय पर किसी भी प्रकार देयता अथवा उत्तरदायित्व नहीं होगा।

(ख) अन्य तकनीकी शर्तें—

1. परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या-2744(1) दिनांक 15 जुलाई, 2022 द्वारा शासकीय कार्यों हेतु दरें निर्धारित की गयी हैं। प्रति किमी० दरों को शासनादेश में निर्धारित दरों के आधार पर ही रखा गया है, फर्मों द्वारा केवल प्रतिदिन न्यूनतम कि०मी० के रूप में दरें अंकित की जानी होंगी, जिस फर्म की दरें सबसे कम होंगी, को L1 माना जायेगा, परन्तु दरें अधिकतम 260 किमी से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. निविदादाता फर्म को कार्य की दरें वित्तीय निविदा हेतु निर्धारित प्रपत्र पर निर्धारित कालमों के सामने तालिका के अनुसार अपनी दरें अंकित करनी होंगी। जिस फर्म द्वारा निर्धारित प्रारूप पर दरें अंकित नहीं की जायेगी उनकी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
3. विभागीय निविदा से प्राप्त एल-1 दर पर एक से अधिक फर्मों (निविदा में प्रतिभाग करने वाली फर्मों) की सेवाएं लिये जाने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा।

अन्य आवश्यक शर्तें—

1. निविदादाता द्वारा वाहन विश्वविद्यालय मुख्यालय बादशाहीथौल, टिहरी गढवाल एवं पं०ल०मो०शर्मा परिसर, ऋषिकेश में उपलब्ध कराये जाने होंगे।
2. सफल एल-1 निविदादाता को मुख्य वित्त अधिकारी, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के नाम एफडी०आर०/बैंक गारन्टी के रूप में रुपये 1.35 लाख (रु० एक लाख पैंतीस हजार मात्र) की कार्यपूर्ति प्रतिभूति कार्यालय में जमा करनी होगी। जिसकी वैधता अनुबन्ध की समाप्ति की तिथि से 90 दिन बाद तक होगी।
3. यदि तकनीकी निविदा में वांछित प्रमाण पत्र नहीं पाये जाते हैं, तो वित्तीय निविदा नहीं खोली जायेगी।
4. फर्म को श्रम विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करना होगा और श्रम विभाग आदि से जुड़े दायित्वों का निर्वहन करना फर्म की जिम्मेदारी होगी।
5. जिस निविदादाता की दरें स्वीकृत होगी, विश्वविद्यालय के आदेश पर निविदादाता से मांगी गई आवश्यकता के अनुसार वाहन उपलब्ध करवाया जाना होगा।
6. जिस निविदादाता की दरें स्वीकृत होगी उसे विश्वविद्यालय के साथ रु 100.00 के शपथ पत्र पर अनुबन्ध करना होगा। अनुबन्ध की शर्तें विश्वविद्यालय निर्धारित करेगा।
7. तकनीकी निविदा (टेक्निकल बिड) स्वीकृति के सम्बन्ध में निविदा समिति का निर्णय अंतिम एवं निविदादाता को बाध्यकारी होगा।
8. निविदा के साथ मांगे गये अग्रिम धरोहर राशि (अर्नस्टमनी), शपथ पत्र तथा अनुभव प्रमाण पत्र को उसी रूप/प्रारूप में ही प्रस्तुत किया जाये जैसा कि अपेक्षा की गई है। अन्य किसी भी रूप में वह भी स्वीकार्य नहीं है।

0-

9. निविदा में वांछित अभिलेखों/दस्तावेजों की स्व:प्रमाणित छायाप्रति के सत्यापन हेतु निविदा समिति द्वारा निविदा पर अन्तिम निर्णय से पूर्व यदि मूल अभिलेख मांगे जाने पर निविदादाता द्वारा अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे।
10. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार मा० कुलपति, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टि०ग० में निहित रहेगा।
11. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।
12. निविदा में समस्त सूचना/अभिलेखों को सही-सही अपलोड करने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। विभाग / सहायक एजेन्सी इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
13. यदि स्वीकृत निविदादाता फर्म द्वारा आवश्यकतानुसार संतोषजनक सेवायें प्रदान नहीं की जायेंगी, तो निविदायें निरस्त की जायेगी।
14. वाहन पर तैनात किये जाने वाला वाहन चालक वैध व्यावसायिक लाईसेन्स धारक होना चाहिए। वाहन का चालक वाहन चलाने की दृष्टि से हष्ट-पुष्ट एवं पहाड़ी व मैदानी क्षेत्र में वाहन चलाने में पर्याप्त अनुभवी और दक्ष होना चाहिए। चालक का आचरण मृदुभाष व अनुशासित होना अनिवार्य है।
15. आपूर्तिकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे चालक जो नशे का आदी हो, को वाहन पर सेवायोजित नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार ऐसे चालक जो नशे का सेवन कर वाहन चलाने अथवा खतरनाक ढंग से वाहन चलाने अथवा किसी पुलिस वाद आदि में दोषी पाया गया हो, को भी वाहन में सेवायोजित नहीं किया जाएगा। सम्बन्धित विभाग द्वारा किसी चालक के सम्बन्ध में पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र की अपेक्षा की जा सकती है।
16. कार्यालय श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढवाल मार्ग में होने वाली किसी भी क्षति अथवा अप्रत्याशित घटना/दुर्घटना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। मार्ग में दुर्घटना की स्थिति में किसी भी प्रकार के चिकित्सा बीमा मुआवजा एवं अन्य विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाएगा।
17. मार्ग/यात्रा के दौरान वाहन में किसी प्रकार की खराबी होने पर आपूर्तिकर्ता को अन्य वाहन की व्यवस्था अपने व्यय पर करनी होगी। आपूर्तिकर्ता वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने के लिए अधिकृत होगा।
18. सभी प्रकार के टोल टैक्स, प्रदेश कर, पार्किंग चार्ज आदि का भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा। वाहन का प्रयोग राज्य के भीतर एवं बाहर कहीं भी/कभी भी किया जा सकता है।
19. निविदादाता को अनुबन्ध करने से पूर्व उनकी आम ख्याती, विनिर्माण क्षमता, गुणवत्ता नियन्त्रण प्रणाली, पूर्व के कार्यों (परफोरमेंस) (जिस सामग्री की आपूर्ति की जानी हो के लिये) विक्रय के बाद दी जाने वाली सेवाओं, वित्तीय पृष्ठभूमि आदि का सर्तकता से सत्यापित किया जायेगा।
20. निविदादाता से 'अनुबन्ध सामग्री की प्रकृति के आधार पर निर्धारित अवधि (एक वर्ष) के लिये किया जायेगा। जिसे सम्बन्धित फर्म की परफोरमेंस के आधार पर विशेष परिस्थितियों में आगे हेतु बढ़ाया जा सकता है।

Q -

21. सफल निविदादाता द्वारा वि०वि० के सक्षम अधिकारी अथवा अधिकृत अधिकारी के कार्य-आदेश प्राप्त होने पर ही उल्लिखित वाहन ही उपयोगकर्ता को उपलब्ध कराया जायेगा।
22. जी०एस०टी० जमा करने का सम्पूर्ण दायित्व सेवा प्रदाता फर्म का होगा। सेवा पर सम्बन्धित कोई विवाद होने पर सेवा प्रदाता की सेवार्यें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेंगी।
23. यात्रा के मध्य वाहन में किसी प्रकार की खराबी, तेल आपूर्ति, चालक के रहने एवं भोजन की व्यवस्था तथा अन्य व्यय एवं करों की देयता का पूर्ण उत्तरदायित्व आपूर्तिकर्ता का होगा। किसी भी प्रकार की दुर्घटना की क्षतिपूर्ति के लिये विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
24. फर्म द्वारा यात्रा उपरान्त वाहन उपयोग किये जाने वाले कार्मिकों से मीटर रीडिंग अनिवार्य रूप से नोट करवायी जायेगी।
25. किसी भी विवाद की दशा में दोनों पक्षों की ओर से मा० कुलपति, श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय का निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।
26. विश्वविद्यालय में सेवार्यें सन्तोषजनक न होने के कारण बिना बताये निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा। इसमें किसी भी प्रकार का लिखित पत्राचार एवं मौखिक वार्ता स्वीकार नहीं होगा। विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र टिहरी होगा।

भुगतान की शर्तें-

1. बिल भुगतान हेतु प्रत्येक माहवार प्रस्तुत किये जायेंगे, यदि बिल माहवार प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे तो भुगतान के विलम्ब हेतु सम्बन्धित फर्म ही उत्तरदायी होगी।
2. विश्वविद्यालय द्वारा वाहन परीक्षाओं के संपादन हेतु लिए जा रहे हैं, परीक्षा कार्यों के दृष्टिगत सम्बन्धित फर्म को पूर्व से सूचित कर दिया जायेगा जिसके अनुसार वाहन उपलब्ध कराना होगा। यदि वाहन स्वामी द्वारा वाहन निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो परीक्षा में हुई क्षति को सम्बन्धित फर्म के बिलों से ₹० 5000/- प्रति दिन की दर से कटौती की जायेगी, जो कि फर्म को मान्य होगी। इस शर्त में किसी भी प्रकार की शिथिलता मान्य नहीं होगी।
3. विश्वविद्यालय द्वारा किये जाने वाले भुगतानों पर प्रचलित दरों से टी०डी०एस० कटौती कर सम्बन्धित फर्म को भुगतान किया जायेगा।
4. निविदा की दरें समस्त व्यय एवं करों के अतिरिक्त देनी होगी। करों की गणना नियमानुसार पृथक से बिल के मूल्य के साथ की जायेगी।

दण्डात्मक कार्यवाही-

1. अनुबन्धित अवधि के दौरान सेवादाता द्वारा अनुबन्ध की शर्तों का अनुपालन ठीक प्रकार से न किये जाने अथवा सन्तोषजनक सेवा प्रदान न किये जाने की दशा में Performance Security की पूर्ण अथवा आंशिक धनराशि जब्त करने का अधिकार कुलसचिव, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय को सुरक्षित होगा।
2. ट्रेवल ऐजेन्सी/फर्म द्वारा निविदा के साथ प्रस्तुत Earnest Money निम्न कारणों से जब्त की जा सकती है-




(अ) यदि बिडर द्वारा बिड की निर्धारित वैधता अवधि 90 दिवस के अन्दर बिड वापस (Withdraw) ले ली जाती है।

(ब) यदि बिड स्वीकार किये जाने के उपरान्त अनुबन्ध गठित करने हेतु निर्धारित अवधि में अनुबन्ध पर हस्ताक्षर नहीं करता है।

(स) यदि Performance Security की अधिप्राप्ति नियमानुसार धनराशि एफ0डी0आर0/ बैंक गारन्टी के रूप में अनुबन्ध से पूर्व जमा न करने पर।

3. सम्बन्धित विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक पंजीकृत निविदादाता के कार्यों (परफारमेंन्स), आचरण आदि पर निगरानी रखी जायेगी:

परन्तु यह कि यदि कोई पंजीकृत निविदादाता निविदा की शर्तों का अनुपालन करने अथवा सामग्री की समय से आपूर्ति करने में असफल रहता है अथवा निर्धारित मानक से निम्नतर प्रकार की सामग्री की आपूर्ति करता है अथवा किसी सरकारी एजेन्सी को गलत घोषणा/तथ्य प्रस्तुत करता है अथवा राज्य सरकार की दृष्टि में कोई अन्य आधार, जो जनहित में न हो तो उसे निविदादाता की अनुमोदित सूची से हटा दिया जायेगा।


कुलसचिव

**वित्तीय विड
निविदा प्रपत्र**

1- फर्म/मालिक का नाम.....

2- निविदा फर्म का नाम एवं पता.....

3- दूरभाष नम्बर/ईमेल आईडी.....

4- परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या-2744(1) दिनांक 15 जुलाई, 2022 द्वारा शासकीय कार्यों हेतु दरें निम्नानुसार निर्धारित की गयी हैं। प्रति किमी० दरों को शासनादेश में निर्धारित दरों के आधार पर ही रखा गया है, फर्मों द्वारा केवल प्रतिदिन न्यूनतम कि०मी० के रूप में दरें अंकित की जानी होंगी, जिस फर्म की दरें सबसे कम होंगी, को L1 माना जायेगा। फर्म/मालिक द्वारा प्रतिदिन न्यूनतम कि०मी० के रूप में प्रत्येक कॉलम में दरें अंकित की जानी आवश्यक होंगी।

क्रम सं०	वाहन का मेक (समस्त यात्री वाहन वातानुकूलित होना आवश्यक है)	दर प्रति किमी०		प्रति-दिन न्यूनतम दूरी (किमी० में) अधिकतम 260 किमी०
		मैदानी क्षेत्रों के लिये	पर्वतीय क्षेत्रों के लिये	
01	इनोवा अथवा समकक्ष वाहन (तेल एवं चालक के साथ)	25.00	27.00	
02	बोलेरो, स्कॉरपियो अथवा समकक्ष वाहन (तेल एवं चालक के साथ)	22.00	25.00	
03	आल्टो डिजायर तथा समकक्ष वाहन (तेल एवं चालक के साथ)	18.00	20.00	
04	बोलेरा पिकअप, महिन्द्रा पिकअप अथवा समकक्ष वाहन (तेल एवं चालक के साथ)	18.00	20.00	
05	ठेका बस (21 से 30 सीट) वातानुकूलित (तेल एवं चालक के साथ)	80.00	85.00	

प्रतिदिन न्यूनतम दूरी का तात्पर्य सेवा प्रदाता द्वारा एक दिन में कम से कम प्रभावित दूरी से है। न्यूनतम दूरी से अधिक चलने पर वास्तविक दूरी का भुगतान उपरोक्तानुसार प्रति किमी की दर से किया जायेगा। प्रतिदिन न्यूनतम दूरी उपर वर्णित प्रत्येक प्रकार के वाहन के लिये वाहन प्रदाता फर्म अलग-अलग प्रस्तुत करेंगे, परन्तु किसी भी दशा में 260 किमी० से अधिक न हो।

मेरे द्वारा निविदा की समस्त शर्तों को भली-भांति पढ़ने के पश्चात् दरें दी गयी हैं। यदि मेरी दरें विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत की जाती हैं, तो मैं विश्वविद्यालय शर्तों के अनुरूप समय-समय पर मांग के अनुसार वाहन उपलब्ध करा दूंगा।

दिनांक-.....

हस्ताक्षर.....

निविदादाता का नाम.....

पता.....

प्रपत्र 'अ'
(तकनीकी बिड के अभिलेख जमा करने का प्रारूप)

1	निविदा संख्या	
2	निविदा कार्य का नाम	
3	फर्म का नाम	
4	निविदा शुल्क का विवरण	
5	पैन नम्बर	
6	जी0एस0टी0 नम्बर	
7	अग्रिम धरोहर राशि (ई0एम0डी0) की एफडीआर/बैंक गारन्टी की संख्या/दिनांक/बैंक एवं शाखा का नाम	
8	निविदादाता फर्म का राजकीय विभागों में 3 वर्षों का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र	
9	निविदादाता फर्म का विगत 3 वित्तीय वर्षों का आयकर रिटर्न (2022-23, 2023-24, 2024-25)	
10	निविदादाता फर्म का तीन वित्तीय वर्षों (2022-23, 2023-24, 2024-25) का वार्षिक टर्न ओवर सी0ए0 द्वारा प्रमाणित	
11	फर्म के पते का प्रमाण पत्र	
12	निविदादाता के पास 05 स्वयं के वाहन होना अनिवार्य है तथा निविदादाता के पास एक बार में कम से कम 10 यात्री वाहन अथवा 15 पिकअप वाहन किराये पर उपलब्ध कराये जाने की क्षमता होना आवश्यक है।	
13	निविदादाता फर्म का ब्लैक लिस्टेड न होने के सम्बन्ध में 100 रु0 के स्टाम्प पेपर पर नानज्युडिशियल शपथ पत्र जो नोटरी द्वारा सत्यापित हो।	

मैं/हम..... इसके द्वारा श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथील, टिहरी गढ़वाल में परीक्षाओं एवं अन्य विभागीय कार्यों हेतु मासिक/दैनिक किराया दर बाह्य स्रोत से घालक एवं ईंधन सहित वाहन सेवा की वार्षिक अनुबन्ध आधार पर अधिप्राप्ति सम्बन्धी कार्य को निविदा में वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अनुरूप करने के लिये ई-निविदा निष्पादित करता हूँ/करते हैं, जिसके लिये मैंने/हमने तकनीकी अर्हता की बैंक-लिस्ट रॉलनम की है। मैंने/हमने अर्नेस्टमनी (अग्रिम धनराशि) के रूप में रु0 एक लाख पैंतीस हजार मात्र की धनराशि का बैंक गारन्टी/एफ0डी0आर0 जो कि विलत अधिकारी, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथील, टि0ग0 के नाम देय होगा को जमा किया गया है।

हस्ताक्षर निविदादाता फर्म
पता-

0